



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 10 नि० (टीका) 01/2025 दिनांक-/2025

"आदेश"

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH&DCP) योजनान्तर्गत Assistance to States for Control of Animal Diseases (ASCAD) के तहत लम्पी त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease - LSD) के रोकथाम हेतु विभागीय राज्यादेश सं०-6 एस०एस० (6) 35/2022-505 दिनांक-01.02.2025 एवं विभागीय राज्यादेश सं०-6 एस०एस० (6) 35/2022-2234 दिनांक-21.05.2025 के आलोक में पूरे राज्य के प्रत्येक गाँव एवं शहरी वार्डों में घर-घर जाकर योग्य गोजातीय पशुओं में लम्पी त्वचा रोग के विरुद्ध Goat Pox Vaccine का निःशुल्क टीकाकरण किया जाना है। इस कार्य हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण पशुपालन निदेशालय के पत्रांक-835 (IAHP) दिनांक-13.03.2025 द्वारा किया गया है। उक्त के क्रम में राज्य के सभी जिलों में LSD टीकाकरण प्रारम्भ की तिथि दिनांक-15.07.2025 निर्धारित की जाती है।

विभागीय राज्यादेश एवं मानक संचालन प्रक्रिया में वर्णित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए टीकाकरण का कार्य 15 दिनों में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-

सचिव-सह-निदेशक,

पशुपालन।

ज्ञापांक-10 नि० (टीका) 01/2025 2489 (नि०) /पटना-15, दिनांक-..... 11/07 /2025

प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सभी संबंधितों को ई-मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना गोजातीय पशुओं में लम्पी त्वचा रोग के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का दैनिक समचार पत्रों में विज्ञापन, Press Meet, रेडियो प्रसारण, जिंगल्स, दूरदर्शन प्रसारण, सोशल मीडिया के माध्यम के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निदेश के साथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव-सह-निदेशक,

पशुपालन।